



Issai

भारतीय खाद्य सुरक्षा और

मानक प्राधिकरण

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

सभी 365 दिन उच्च विचार, स्वास्थ्यकर आहार और सही जीवन-शैली

नई दिल्ली, 05 सितंबर, 2019 : डॉ. हर्ष वर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आज पोषण माह 2019 का आरंभ किया। इसी के साथ यह भारत के लिए सही खाने का समय है। यह पोषण माह ईट राइट इंडिया के संबंध में एक वर्ष से चले आ रहे सामाजिक और जन संचार माध्यम अभियान के बाद आरंभ हुआ। प्रतिदिन एक ट्वीट और अगले 365 दिनों तक सही खाना खाने पर ध्यानाकर्षण करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने ईट राइट इंडिया के नए 'लोगो' का भी विमोचन किया और एक स्वास्थ्यकर प्लेट, एक ऑनलाइन ईट राइट क्विज, फ्रंटलाइन के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ईट राइट ऑनलाइन पाठ्यक्रम और खान-पान की सही आदतें डालने को प्रेरित करने के लिए खान-पान की वस्तुओं को दर्शाते हुए ईट राइट इंडिया स्टोर की शुरुआत की।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल के रोगों जैसे गैर-संचारी रोगों, विटामिनों और खनिजों की व्यापक कमी और अनियंत्रित खाद्यजनित बीमारियों के वर्धमान भार के परिदृश्य में सभी के लिए निवारक और संवर्धनकारी स्वास्थ्य के लिए देश को आज एक 'जन आंदोलन' की जरूरत है। सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए ईट राइट इंडिया आंदोलन एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा विनियमात्मक उपायों, सरल तरीकों के साथ एक महत्वपूर्ण निवारक स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय के रूप में आरंभ किया गया, ताकि खाद्य कारोबारों के साथ-साथ नागरिकों में जागरूकता और क्षमता-निर्माण की शक्ति उत्पन्न की जा सके। यह

आंदोलन सरकार के जन स्वास्थ्य के प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, आयुषमान भारत योजना और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा है।

ईट राइट आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के पीछे का कार्य पिछले कुछ महीनों से किया जा रहा था। एफ.एस.एस.ए.आई ने तीन मुख्य स्तंभों - सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और सही खाएँ - के अंतर्गत सशक्त विनियमात्मक उपाय किए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने पुनः प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के हानिकर प्रभावों से बचने के लिए कुकिंग आयल में टोटल पोलर यौगिकों की सीमा 25% तय की है। विटामिनों और खनिजों की व्यापक कमियाँ दूर करने के लिए स्वास्थ्य अनुपूरकों, न्युट्रास्युटिकल्स और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक उत्पादों के मानकों के अतिरिक्त पाँच पौष्टिकीकृत आहारों - गेहूँ का आटा, चावल, तेल, दूध और लवण - के मानक अधिसूचित किए गए हैं। उपभोक्ताओं को अपनी पसंद सोच-समझकर करने हेतु प्रेरित करने के लिए 'विज्ञापन और दावे' और अनिवार्य मेनु लेबलिंग के बारे में विनियम अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मीठाकारकों के उचित उपयोग के संबंध में लेबलिंग उपबंध किए गए हैं। वर्ष 2022 तक ट्रांस-फैट मुक्त भारत बनाने के लिए सभी तेलों, वसाओं और खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटों के स्तर को 2% से कम लाने के लिए विनियम बना दिए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने वापसी योग्य बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया है और यह प्लास्टिक की जगह बांस के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

सोच-समझकर खाना खाने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आधार कार्य भी कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत समूहगत योजनाओं, यथा स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्रों, स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडियाँ और स्कूलों, कॉलेजों, कार्य-स्थलों और अन्य कैंपसों के लिए ईट राइट कैंपसों के प्रायोगिक रूपों/प्रोटोटाइपों का अखिल भारतीय आधार पर सफल परीक्षण कर लिया गया है। खाद्य कारोबारियों ने खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन (फोस्टैक) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनके अंतर्गत 1.7 लाख से अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।